प्रेस प्रकाशनी*

अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्किंग पेपर श्रृंखला लागू की

1 अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर दो वर्किंग पेपर जारी किए। वे इस प्रकार हैं:

वंर्किंग पेपर 1 : सोमनाथ शर्मा द्वारा भारत में करेंसी फ्यूचर्स और विनिमय दर अस्थिरता के बीच संबंध का एक अनुभवजन्य विश्लेषण; और वर्किंग पेपर 2 : एस. अरुणाचलरमणन और रमेश गोलाइत द्वारा भारत के व्यापार पर रेनमिन्बी पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव - एक अध्ययन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि रिज़र्व बैंक के स्टाफ को अपने अनुसंधान अध्ययन प्रस्तुत करने के साथ-साथ सुविज्ञ अनुसंधानकर्ताओं से प्रतिसूचना प्राप्त करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराने हेतु 'भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर श्रृंखला (आरबीआइ-डब्ल्यूपी)' लागू की जाए।

केंद्रीय बैंकों में अनुसंधान की एक विशेषता यह है कि संगत गतिविधियों और उभरती हुई चुनौतियों की जानकारी प्राप्त की जाए तथा नीति निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान इनपुट उपलब्ध कराया जाए। ऐसा करने के लिए अनुसंधान अध्ययन केंद्रीय बैंक के लक्ष्यों और उद्देश्यों के सहबद्ध विषयों पर होने चाहिए तथा उन्हें एक वैज्ञानिक ढंग से आयोजित किया जाना चाहिए। केंद्रीय बैंक स्टाफ की पूर्वसक्रियता और रणनीतिक भूमिका के साथ अनुसंधान इनपुट वैज्ञानिक ढंग से नीति निर्माण तथा केंद्रीय बैंक के सक्षम कार्यकलाप के लिए आवश्यक उपकरण बन सकेंगे। वर्किंग पेपरों को प्रकाशित करने का प्रयास ऐसे प्रयत्नों के प्रति योगदान देने के लिए रिज़र्व बैंक के स्टाफ को प्रोत्साहित करने के परिप्रेक्ष्य में आया है।

आरबीआई वर्किंग पेपर श्रृंखला सहित रिज़र्व बैंक के सभी अनुसंधान प्रकाशनों में व्यक्त विचार आवश्यक रूप से रिज़र्व बैंक के विचारों को नहीं दर्शाते हैं और इस प्रकार भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों के प्रतिनिधित्व के रूप में उनकी रिपोर्ट नहीं की जानी चाहिए।

इन पेपरों पर प्रतिसूचना यदि है, तो उसे अनुसंधान अध्ययनों के संबंधित लेखकों को भेजी जा सकती है।

---

* अप्रैल 2011 के दौरान महत्वपूर्ण प्रेस प्रकाशनियां।

भारत सरकार ने विभिन्न उर्वरक कंपनियों को जारी उर्वरक बाण्डों की पुनर्खरीद की

1 अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2011 को आयोजित प्रथम भाग में 5762.98 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) की राशि के विभिन्न उर्वरक कंपनियों को जारी उर्वरक बॉण्डों की पुनर्खरीद की। पुनर्खरीद की प्रतिभूतिवार जानकारी निम्नानुसार है:

प्रतिभूति	अंकिम मूल्य (₹ करोड़)
6.20 प्रतिशत उर्वरक कंपनी भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2022	1772.85
6.65 प्रतिशत उर्वरक कंपनी भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2023	2072.22
7.00 प्रतिशत उर्वरक कंपनी भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2022	1896.41
7.95 प्रतिशत उर्वरक कंपनी भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2026	16.50
8.30 प्रतिशत उर्वरक कंपनी भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2023	5.00
कुल	**5762.98**

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी कार्यालय में ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग खोला गया

1 अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक के पणजी कार्यालय में आज से ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग का आरंभ किया गया। यह विभाग अन्य कार्यों के साथ-साथ वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के प्रयासों का कार्य तथा अग्रणी बैंक योजना का कार्यान्वयन और निगरानी का कार्य करता है। उनके कार्य क्षेत्र में गोवा राज्य को शामिल किया जाएगा। विभाग का पता और संपर्क की जानकारी निम्नानुसार है :

प्रभारी महाप्रबंधक एवं प्रभारी अधिकारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग

3ए/3बी, तीसरी मंजिल, सेसा घोर
पट्टो, पणजी-403001
टेलिफोन नं. 0832 2438656
फैक्स नं. 0832 2438657

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गोवा में 1983 में कार्य करना शुरू किया था जब गोवा संघ शासित क्षेत्र ही था। यह कार्यालय गोवा के संघ शासित क्षेत्र में जनता तथा संस्थाओं की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करता था।

दि जामनगर पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जामनगर पर दण्ड लगाया गया

4 अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दि जामनगर पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जामनगर पर 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। यह दण्ड वित्तीय आसूचना इकाई-भारत, नई दिल्ली को 10.00 लाख रुपये से अधिक के नकदी लेनदेन की रिपोर्टिंग के संबंध में रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर और इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुतीकरण पर भी विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक आपके बैंक खातों की जानकारी की माँग कभी भी नहीं करता है

5 अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक को यह पता चला है कि उनका नाम लेकर ''बैंक ग्राहकों को ऑन-लाइन फिशिंग से बचने के लिए अपने बैंक खाते की जानकारी अद्यतन करने के लिए आमंत्रित'' करनेवाला एक ई-मेल भेजा गया है।

रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि हमनें ऐसा कोई ई-मेल नहीं भेजा है।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रिज़र्व बैंक अथवा अन्य बैंक कभी भी किसी भी प्रयोजन के लिए बैंक खाते की जानकारी माँगनेवाली कोई सूचना जारी नहीं करते है। रिज़र्व बैंक ने जनता से अपील की है कि ऐसे ई-मेलों का जवाब न दें और किसी भी प्रयोजन के लिए किसी को अपने बैंक खाते की जानकारी न दें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मेहसाणा (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया

5 अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दि मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मेहसाणा (गुजरात) पर 5.00 लाख रुपये (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। यह दण्ड सहकारी समितियों की सदस्यता, गैर-बैंकिंग कारोबार के संचालन, अन्य संस्था के नाम में शब्द ''बैंक'' का उपयोग और शेयर सहबद्धता मानदण्डों पर रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर और व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वाघोडिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा पर दण्ड लगाया

7 अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दि वाघोडिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा पर 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। यह दण्ड धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/दिशानिर्देशों के उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर और व्यक्तिगत

रूप से भी प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवसर्जन इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंकलेश्वर पर दण्ड लगाया गया

7 अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए नवसर्जन इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंकलेश्वर पर 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। यह दण्ड धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के कारण लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर और व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा पर दण्ड लगाया गया

7 अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्री भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा पर 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। यह दण्ड 10.00 लाख रुपये से अधिक के नकदी लेनदेन के लिए रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण से संबंधित धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/दिशानिर्देशों के उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर और व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'गो मुंबई' कार्डों के रूप में ज्ञात पूर्वदत्त कार्डों के निर्गम के लिए कैज़न आटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को स्वीकृत प्राधिकार को रद्द किया

7 अप्रैल 2011

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'गो मुंबई' कार्डों के रूप में ज्ञात पूर्वदत्त कार्डों के निर्गम और परिचालन के लिए कैज़न आटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, बी-601-602, सीटी पॉइंट, अंधेरी, कुर्ला रोड, जे.बी.नगर, कोहिनूर कान्टिनेन्टल के नज़दीक, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059 को स्वीकृत प्राधिकार का तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि प्रबंध उपायों की समय सीमा बढ़ाई

8 अप्रैल 2011

वर्तमान चलनिधि स्थितियों के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में 8 अप्रैल 2011 को समाप्त होनेवाले निम्नलिखित चलनिधि प्रबंध उपायों की समय सीमा निम्न प्रकार से बढ़ाई जाए:

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) की एक प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त चलनिधि सहायता को अब 6 मई 2011 तक बढ़ा दिया गया है। इस सुविधा के उपभोग से उत्पन्न सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव में किसी कमी के लिए बैंक शुद्ध रूप से तदर्थ, अस्थायी उपाय के रूप में पाक्षिक आधार पर दण्डात्मक ब्याज से छूट की माँग कर सकते हैं।
- द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा (एसएलएएफ) 6 मई 2011 तक दैनिक आधार पर आयोजित की जाएगी।

इन सुविधाओं की समीक्षा मौद्रिक नीति की परिचालन प्रक्रिया पर कार्यदल (अध्यक्ष श्री दीपक मोहंती) की रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर विचार किये जाने के बाद की जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री सावली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला वड़ोदरा पर दण्ड लगाया गया

8 अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्री सावली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला वड़ोदरा पर 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। यह दण्ड धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के कारण लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर और व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

श्री महालक्ष्मी मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई, जिला वडोदरा, गुजरात पर दण्ड लगाया गया

11 अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्री महालक्ष्मी मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई, जिला वडोदरा, गुजरात, पर नये ऋण और अग्रिमों की स्वीकृति द्वारा परिचालनात्मक अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

दि रणडेर पिपुल्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, रणडेर, जिला सूरत, गुजरात पर दण्ड लगाया गया

11 अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दि रणडेर पिपुल्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, रणेडेर, जिला सूरत, गुजरात, पर वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), नई दिल्ली को 10.00 लाख रुपये से अधिक के नकद लेन-देन की रिपोर्ट नहीं भेजे जाने संबंधी कालाधन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

सरकारी प्रतिभूतियों के लिए हामीदारी नीलामियां

11 अप्रैल 2011

भारत सरकार ने 15 अप्रैल 2011 को आयोजित की जानेवाली नीलामियों के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए "7.59 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2016", 5,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए "8.08 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2022" और 3,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए "8.26 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2027" की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। उपर्युक्त प्रतिभूतियों के लिए हामीदारी नीलामियां 13 अप्रैल 2011 (बुधवार) को आयोजित की जाएंगी।

14 नवम्बर 2007 की संशोधित हामीदारी योजना के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) तथा अतिरिक्त स्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम नीलामी अपेक्षा की राशियाँ निम्नानुसार होंगी:

(राशि करोड़ रुपये में)

प्रतिभूति का नाम	अधिसूचित राशि	प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए न्यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी)	प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए अतिरिक्त स्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम हामीदारी वायदा
7.59 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2016	4000	100	100
8.08 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2022	5000	125	125
8.26 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2027	3000	75	75

हामीदारी नीलामी एकाधिक मूल्य आधारित नीलामी पद्धति का उपयोग करते हुए आयोजित की जाएगी। प्राथमिक व्यापारी (पीडी) एसीयू नीलामी के लिए अपनी बोलियां तयशुदा लेन-देन प्रणाली (एनडीएस) का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में 13 अप्रैल 2011 (बुधवार) को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

हामीदारी कमीशन, प्रतिभूति जारी करने की तारीख को भारतीय रिज़र्व बैंक, फोर्ट, मुंबई में संबंधित प्राथमिक व्यापारी के चालू खाते में जमा किया जाएगा।

दि अंकोला अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंकोला, जिला उत्तरा कन्नडा पर दण्ड लगाया गया

13 अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दि अंकोला अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंकोला, जिला उत्तरा कन्नडा, कर्नाटका, पर बैंक द्वारा जारी परिचालनात्मक अनुदेशों के उल्लंघन में बेजमानती अग्रिमों की मंजूरी संबंधी बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 36(1)(क) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण 2.00 लाख रुपये (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

दि कुश्तगी पट्टना सहकारी बैंक नियनित, कुश्तगी, जिला कोप्पल पर दण्ड लगाया गया

13 अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दि कुश्तगी पट्टना सहकारी बैंक नियनित, कुश्तगी, जिला कोप्पल, कर्नाटक, पर ऋण प्रदान करने/नवीकरण करने, नयी जमाराशियाँ स्वीकार करने संबंधी बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 36(1)(ए) के प्रावधानों का उल्लंघन करने तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35(ए) के अंतर्गत 1,000 रुपये से अधिक की जमाराशि के आहरण की अनुमति देने संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण 5.00 लाख रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

दि सलाल सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, सलाल, जिला साबरकांठा, गुजरात पर दण्ड लगाया गया

13 अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दि सलाल सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, सलाल, जिला साबरकांठा, गुजरात, पर वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), नई दिल्ली कालाधन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों के अंतर्गत 10.00 लाख रुपये से अधिक के नकद लेन-देन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण 2.00 लाख रुपये (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

गोल्डमैन सैश प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने हेतु प्रधिकृत

15 अप्रैल 2011

गोल्डमैन सैश (इंडिया) कैपिटल मार्केट्स प्रा.लिमि. को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 18 अप्रैल 2011, सोमवार से प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

दि बोटाड पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाड, जिला भावनगर, गुजरात पर दण्ड लगाया गया

15 अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दि बोटाड पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाड, जिला भावनगर, गुजरात, पर वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), नई दिल्ली को 10.00 लाख रुपये से अधिक के नकद लेन-देनों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने, अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) का अनुपालन न करने और पूर्ववर्ती निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शायी गयी अनियमितताओं को जारी रखने के कारण 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

दि सुविकास पिपल्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया

15 अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दि सुविकास पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन के कारण 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने तथा व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुतीकरण के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया

15 अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर बेजमानती अग्रिमों, अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी)/ काला धन आशोधन (एएमएल) मानदण्डों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने, नकदी शेष की कमी, बेनामी खाता खोलने तथा निदेशक बोर्ड के लिए निर्धारित 'क्या करें और क्या न करें' का उल्लंघन करने के कारण 5.00 लाख रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

दि सिध्दी को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर दण्ड लगाया गया

15 अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिद्धी को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, पर 5.00 लाख रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया। उस पर यह दण्ड अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी)/ काला धन आशोधन (एएमएल) मानदण्डों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने तथा अपनी पूर्ववर्ती निरीक्षण रिपोर्ट में निर्दिष्ट अनियमितताओं का अनुचित अनुपालन प्रस्तुत करने के कारण लगाया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिद्धी को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कारण बताओ नोटिस के जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया और मामले के तथ्यों तथा व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दण्ड लगाया।

आपके लिए विदेशी मुद्रा: भारतीय रिज़र्व बैंक प्रदर्शनी के माध्यम से कोलकाता की आम जनता तक पहुँचा

18 अप्रैल 2011

केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा प्रवाहों की ओर बहुत गंभीरता के साथ न केवल वित्तीय स्थिरता बनाए रखने बल्कि कारोबार और व्यक्तियों के लिए बाधामुक्त विदेशी मुद्रा लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए भी देख रहे हैं। यह संदेश श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोलकाता में दिया गया। वे नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता में विदेशी मुद्रा पर आयोजित किये जा रहे भारतीय रिज़र्व बैंक के एक दो-दिवसीय पहुँच कार्यक्रम का उद्घाटन कर रही थीं। विदेशी मुद्रा विनियमावली का पिछले कुछ वर्षों के दौरान बहुत अधिक हद तक सरलीकरण किया गया है। तथापि, आम जनता के मन में विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के बारे में अभी भी आशंकाएँ हैं। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य विदेशी मुद्रा के विषय के रहस्य से पर्दा हटाना तथा आम जनता को यह आश्वस्त करना है कि विदेशी मुद्रा सभी वास्तविक प्रयोजनों के लिए उन्हें उपलब्ध है।

यह प्रदर्शनी नेशनल लाइब्रेरी में 18 और 19 अप्रैल 2011 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 6.00 तक आम जनता के लिए खुली रहेगी। कुछ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक तथा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों में भी आम जनता के लोगों को उपलब्ध विदेशी मुद्रा सुविधाएं प्रदर्शित करने वाले अपने स्टॉल लगाए हैं। विदेशी मुद्रा के फर्जी प्रस्तावों पर आम जनता के सवालों का जवाब देने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक विशेष डेस्क भी लगाया गया है।

आज सुबह में रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर श्रीमती गोपीनाथ के साथ आयोजित एक इंटरफेस में निर्यातकों, आयातकों, कारोबारी निकायों और बैंकरों ने भाग लिया। कुछ महाविद्यालयों के छात्रों ने भी प्रदर्शनी का दौरा किया और इंटरफेस में भाग लिया तथा रिज़र्व बैंक और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे विदेशी मुद्रा से संबंधित सवालों पर स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया। छात्रों ने विशेष रूप से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और प्रदर्शनी में प्रदर्शित प्रदर्शों के माध्यम से विदेशी मुद्रा की जानकारी पर आधारित खेल का आनंद लिया।

रिज़र्व बैंक देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे पहुँच कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है। पहुँच कार्यक्रम में पिछले कुछ वर्षों में करोबार और व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराई गयी विदेशी मुद्रा सुविधाओं की एक प्रदर्शनी शामिल की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के शीर्ष कार्यपालकों के साथ एक इंटरफेस ऐसे पहुँच कार्यक्रमों का एक मुख्य भाग होता है।

द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड, जिला बीड पर दण्ड लगाया गया

19 अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड, जिला बीड पर उन ''निदेशकों/अपने संबंधियों/प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रूचि है को ऋण/अग्रिम'' से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण 5.00 लाख रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा व्यक्तिगत

रूप से भी प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

आइडीबीआई बैंक लिमिटेड प्राथमिक व्यापारी के रूप में प्राधिकृत

19 अप्रैल 2011

बुधवार, दिनांक 20 अप्रैल 2011 से सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में प्राथमिक व्यापारी का कारोबार शुरू करने के लिए आइडीबीआई बैंक लिमिटेड को प्राधिकृत किया गया है और साथ ही साथ प्राधिकृत व्यापारी के रूप में आइडीबीआई गिल्ट्स लिमिटेड को दिया गया प्राधिकार समाप्त कर दिया गया है।

रिज़र्व बैंक ने बालाज़ी को-आपरेटिव बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

21 अप्रैल 2011

बालाज़ी को-आपरेटिव बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र के अर्थक्षम नहीं रह जाने और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से बैंक को पुनरुज्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण ज़माकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 07 अप्रैल 2011 को कारोबार आरंभ होने के पहले बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश ज़ारी किया। सहकारिता आयुक्त तथा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश ज़ारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर ज़माकर्ता निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से सामान्य शर्तों और नियमों के अधीन 1, 00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी ज़मारशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

14 अक्तूबर 1996 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग कारोबार करने के लिए बैंक को लाईसेंस प्रदान किया। 31 मार्च 2009 की वित्तीय स्थिति के लिए बैंक के सांविधिक निरीक्षण से यह पता चला कि बैंक का सीआरएआर (-) 3.0%, नकारात्मक निवल संपत्ति (-)2.84 लाख रु तथा ज़माराशि में 1.6% तक मूल्यह्रास हुआ है। सकल और निवल एनपीए उस तारीख के सकल और निवल अग्रिमों के क्रमशः 91.5% तथा 81.5% रहें। 22 जनवरी 2010 को बैंक को सूचित किया गया कि वसूली प्रयासों को बढ़ाए तथा विलयन के लिए 31मार्च 2010 तक ठोस योजना प्रस्तुत करें।

बैंक की स्थिति 31 मार्च 2010 की वित्तीय स्थिति की तुलना में अत्यधिक खराब हुई है जिससे न की स्वाधिकृत निधि समाप्त हुई बल्कि ज़मारशियों में 31.4% तक का मूल्यह्रास भी हुआ। बैंक का सीआरएआर निर्धारित 9% की तुलना में (-) 88.5% हो गया। बैंक ने सीआरआर और एसएलआर रखने में भी चूक की। पर्याप्त समय और अवसर देने के बावजूद बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं ला सका तथा उन्होने विलयन के लिए कोई ठोस योज़ना प्रस्तुत नहीं की।

अनिश्चित वित्तीय स्थिति के कारण 18 अक्तूबर 2010 के निर्देश शबैंवि. केंका.बीएसडी1.सं डी 19/12.22.378/2010-11 के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत बैंक को निर्देश जारी किये गए।

उपर्युक्त गंभीर अनियमितताओं से पता चला कि बैंक का कारोबार ज़माकर्ताओं के हित के विपरीत चल रहा है। बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 11(1), 18, 22(3) क और ख तथा 24 का अनुपालन बैंक ने नहीं किया। एनपीए की वसूली के लिए भी बैंक ने कोई प्रयास नहीं किये है।

उपर्युक्त गंभीर अनियमितताओं को तथा बैंक की खराब वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को 03 दिसंबर 2010 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए 14 अक्तूबर 1996 को ज़ारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया ज़ाए। कारण बताओ नोटिस पर बैंक ने 30 दिसंबर 2010 को उत्तर दिया। कारण बताओं नोटिस पर बैंक द्वारा दिए गये उत्तर की जांच की गयी परंतु उसे संतोषजनक नहीं पाया गया। साथ ही बैंक से विलयन के लिए कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

अतः भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के जमाकर्ताओं के हित में अंतिम उपाय के रूप में बैंक का लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ करने से बालाज़ी को-आपरेटिव बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं को निक्षेप

बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में श्री बालाजी को-आपरेटिव बैंक लि., जिला ला नासिक, महाराष्ट्र पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमारशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्रीमती के.एस.ज्योत्सना, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई से सपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार हैः

डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, गारमेंट हाउस, मुंबई 400018, टेलीफोन नंबर : (022) 24824203-49 सीधी लाईनः (022) 2493 993, फैक्स नंबरः (022) 2493 5495; ई-मेल.

वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु भारत सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमाएँ निर्धारित करना

22 अप्रैल 2011

भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमाएँ निम्न प्रकार होंगी

01 अप्रैल 2011 से 20 अप्रैल 2011 तक 30,000 करोड़ रुपए

21 अप्रैल 2011 से 30 जून 2011 तक 45,000 करोड़ रुपए

01 जुलाई 2011 से 30 सितंबर 2011 तक 30,000 करोड़ रुपए

01 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2012 तक 10,000 करोड़ रुपए

रिज़र्व बैंक बाजार ऋण के नए निर्गम जारी कर सकता है जब भारत सरकार अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 75 प्रतिशत का उपयोग कर लेगी।

रिज़र्व बैंक के पास यह अधिकार बना रहेगा कि वह व्याप्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए भारत सरकार के परामर्श से किसी भी समय सीमाओं में संशोधन कर सके।

अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर निम्न प्रकार होगाः

क) अर्थोपाय अग्रिमः रिपो दर

ख) ओवरड्राफ्ट : रिपो दर से दो प्रतिशत अधिक

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास भारत सरकार द्वारा बनाए रखे जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम शेष शुक्रवार को, भारत सरकार के वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख और 30 जून को अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक लेखाबन्दी को 100 करोड़ रुपये से कम नहीं तथा अन्य दिनों में 10 करोड़ रुपये से कम नहीं होगा।

भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच 26 मार्च 1997 के करार के प्रावधानों के अनुसार लगातार दस कार्यदिवसों के ओवरड्राफ्ट के बाद इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

इंडिपेन्डेन्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक पर दण्ड लगाया गया

25 अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए इंडिपेन्डन्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, 6, पहली मंजिल, मेमन चेंबर्स, तिलक पथ, नासिक - 422 001 पर निदेशकों से संबंधित ऋणों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

दि भूज मर्कंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, भूज, जिला कच्छ पर दण्ड लगाया गया

25 अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि भूज मर्कंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, भूज, जिला कच्छ, पर 5.00 लाख रुपये (पांच लाख रुपये

मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया। उस पर यह दण्ड अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों, काला धन आशोधन (एएमएल) के दिशानिर्देशों, अस्थायी ओवर ड्राफ्टों (टीओडी) के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के विभिन्न उल्लंघनों तथा 'को-ऑपरेटिव' शब्द के बिना बैंक के नाम का प्रयोग करने के कारण लगाया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि भूज मर्कंटाइल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, भूज, जिला कच्छ को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कारण बताओं नोटिस के जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया और मामले के तथ्यों पर तथा व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दण्ड लगाया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने डेरिवेटिव्स के संबंध में अपने अनुदेशों का पालन नहीं करने के कारण 19 वाणिज्यिक बैंकों पर दण्ड लगाया

26 अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित 19 वाणिज्यिक बैंकों पर दण्ड लगाया है।

डेरिवेटिव के संबंध में जैसेकि उत्पादों की उपयुक्तता के संबंध में उचित सावधानी नहीं बरतना, जोखिम प्रबंध नीति नहीं रखनेवाले उपयोगकर्ताओं को व्युत्पन्नी उत्पाद बेचना तथा पिछले कार्यनिष्पादन मार्ग के अंतर्गत अन्तर्निहित और पात्र सीमाओं की अंतर्निहित/पर्याप्तता का सत्यापन नहीं करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न अनुदेशों के उल्लंघन के कारण इन बैंकों पर दण्ड लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर सावधानीपूर्वक विचार करने तथा इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतीकरण के बाद रिज़र्व बैंक ने पाया कि उक्त उल्लंघन साबित हो गये हैं और इस प्रकार दण्ड लगाया गया।

क्रम सं.	बैंक के नाम	दण्ड (लाख ₹ में)
1	एक्सिस बैंक लि.	15.00
2	बर्कले बैंक लि.	15.00
3	एचडीफसी बैंक लि.	15.00
4	आइसीआइसी बैंक लि.	15.00
5	कोटक महिन्द्र बैंक लिमिटेड	15.00
6	येस बैंक लि.	15.00
7	बीएनपी परिबास	10.00
8	सीटी बैंक एनए	10.00
9	क्रेडिट एग्रिकोल - सीआइबी	10.00
10	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	10.00
11	आइएनजी वैश्य बैंक लि.	10.00
12	रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैण्ड	10.00
13	स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	10.00
14	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	10.00
15	बैंक ऑफ अमरीका एनए	5.00
16	डीबीएस बैंक लि.	5.00
17	ड्यूश बैंक एजी	5.00
18	हॉगकॉग एण्ड शांघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लि.	5.00
19	जेपी मोर्गन चेस बैंक एनए	5.00

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बचत बैंक जमा दर से नियंत्रण हटाने पर चर्चा पत्र जारी किया

28 अप्रैल 2011

जैसाकि 2 नवंबर 2010 को मौद्रिक नीति 2010-11 की दूसरी तिमाही समीक्षा में उल्लेख किया गया है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर 'बचत बैंक जमा दर से नियंत्रण हटाने' पर एक चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र में यथानिर्धारित बचत जमा ब्याज दर से नियंत्रण हटाने के पक्ष और विपक्ष के आलोक में रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित मुद्दों पर आम जनता से प्रतिसूचना माँगी है:

1. क्या इस समय बचत जमा ब्याज दर से नियंत्रण हटा लेना चाहिए?

2. क्या बचत जमा ब्याज दर से पूर्ण रूप से अथवा कुछ समय के लिए एक न्यूनतम सीमा के अधीन चरणबद्ध रूप से नियंत्रण हटा लेना चाहिए?

3. बचतकर्ताओं (वरिष्ठ नागरिक, पेंशनभोगी, छोटे बचतकर्ता खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में) के संबंध में चिंताओं का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है यदि बचत जमा ब्याज दर से नियंत्रण हटा लिया जाता है?

4. बैंकों और आस्ति-देयता संतुलनों के बीच एक संभावित तीव्र प्रतिस्पर्धा के संबंध में चिंताएं कितनी गंभीर होंगी यदि बचत जमा ब्याज दर से नियंत्रण हटा लिया जाए?

5. क्या चेक बुक सुविधा के बिना बचत जमा राशियों पर उच्चतर ब्याज दर का भुगतान किया जाना चाहिए?

सुझाव और अभिमत कृपया 20 मई 2011 तक प्रभारी परामर्शदाता, भारतीय रिज़र्व बैंक, मौद्रिक नीति विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 24वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, मुंबई-400001 को भेजे जाएं अथवा को ई-मेल किये जाएं।

मणिपाल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक पर दण्ड लगाया गया

29 अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मणिपाल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कर्नाटक पर स्थावर संपदा के प्रयोजन से ऋण प्रदान करके 30 सितंबर 2009 को अपनी पूंजीगत निधियों की 15 प्रतिशत सिंगल पार्टी एक्सपोज़र सीमा तथा 31 मार्च 2009 को अपनी जमाराशियों पर 15 प्रतिशत स्थावर संपदा एक्सपोज़र सीमा से अधिक ऋण स्वीकृत करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण 5.00 लाख रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।